भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/284/2015/एफ.सी./817 दिनांक 17.07.2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद – बागेष्वर में ह्वील कुलवान से स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/12810/2015)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 3449/FP/UK/ ROAD/12810/2015 दिनांक 18-06-2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय के ई.डी.एस. दिनांक 23.07.2018 का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। जिसमें निम्नलिखित कमियों की पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित हैः

1. बिन्दु संख्या 02 के प्रतिउत्तर में एन.पी.वी. की density 0.2 हार्ड कॉपी में अंकित की गई है जबकि ऑनलाईन वैब पोर्टल पर 0.3 अंकित की गई है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रेषित करें।
2. बिन्दु संख्या 06 के प्रतिउत्तर में पार्ट III, IV & V की हार्ड कॉपी अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नही करी गई है। अतः राज्य सरकार पार्ट III, IV & V की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. बिन्दु संख्या 07 के प्रतिउत्तर में मलवा निस्तारण योजना ठीक नहीं पाई गई है तथा Reclamation Plan अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार muck disposal plan and Reclamation Plan इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं muck disposal से प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण पृथक से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित वन भूमि का चयन किया गया है जो कि मान्य नहीं है। अतः राज्य सरकार मलवा निस्तारण हेतु गैर–वन क्षेत्र का चयन करना सुनिश्चित करें तथा मलबा निस्तारण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण पॅथक से प्रस्तुत करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)